मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग,
:: मंत्रालय ::

//<u>आदेश</u>//

भोपाल, दिनांक 22 जून, 2018

क्रमांक एफ-16-16/2017/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं एवं उस हेतु निहित नियम/प्रक्रिया निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

1. परिभाषा -

लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में स्थापनाधीन/प्रस्तावित ऐसी इकाई जिसके द्वारा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग अधोसंरचना विकसित की जा रही हो तथा एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट में निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया गया हो तथा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित अक्टूबर, 2017) के अनुक्रम में इस विशेष वित्तीय सहायता हेतु जारी अधिसूचना दिनांक को या उसके पश्चात वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किया हो।

यह भी कि लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क में मैकेनाईज्ड मेटेरियल हेंडलिंग उपकरण, प्रसंस्कृत उत्पाद (secondary produce) का भण्डारण एवं अन्य संबंधित व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हो तथा इसके अंतर्गत अधोसंरचना यथा आंतरिक सड़क, विद्युत एवं जल आपूर्ति, संचार सेवा, सीवेज एवं ड्रेनेज सुविधा इत्यादि का स्पष्ट प्रावधान किया गया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भंडारण में प्राथमिक कृषि उत्पाद सम्मिलित नही होंगे।

2. विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत/सुविधाओं का विवरण.

2.1 **निवेश सहायता** - भूमि लागत को छोडकर भवन(जिसमें रिहायशी मकान शामिल नही होंगे) निर्माण में आने वाले समस्त व्यय एवं यंत्र-संयंत्र में स्थाई पूंजी निवेश पर 15% अधिकतम रू. 15 करोड़। यंत्र.संयंत्र अन्तर्गत समस्त हैण्डलिंग उपकरण, नाप.तौल संबंधी उपकरण, सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, ट्रांसफार्मर, आवश्यक रखरखाव संबंधी उपकरण इत्यादि सम्मिलित होंगे।

2.2 **स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंक से लिये जाने वाले ऋण को प्रतिभूत करने के लिये हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार की लिखतों पर एवं क्रय की गयी भूमि पर चुकाए गए स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति ।

2.3 **विद्युत शुल्क से छूट** - विनिर्माण इकाईयों के समान सभी पात्र लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से नवीन उच्च दाब संयोजन प्राप्त किए जाने पर विद्युत शुल्क से निम्नानुसार छूट शर्तो के अध्याधीन दी जावेगी :-

- 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों के लिए ।
- 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षों के लिए ।
- 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों के लिए।

2.4 **अधोसरंचना विकास सहायता** - पात्र लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को निम्न स्वरूप में अधोसरंचना विकास सहायता प्रदान की जावेगी :-

"परियोजना अन्तर्गत बाह्य सड़क/रेल अधोसंरचना विकास (परियोजना स्थल तक पहुंचने हेतु) के लिए व्यय की गयी राशि का 50% अधिकतम रू. 1 करोड़ रूपये की सीमा तक सहायता दी जाएगी।"

2.5 **भू उपयोग संबंधी सुविधाऐं** -

2.5.1 फ्लोर एरिया रेशो (FAR) एवं ग्राउण्ड कवरेज (GC) – लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को निवेश तथा निवेश क्षेत्र के बाहर एफएआर तथा ग्राउण्ड कवरेज की निम्नानुसार अनुमति दी जावेगी :-

(अ) निवेश क्षेत्र में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हेतु भू उपयोग संबंधी मापदण्ड -

(A) NORMS FOR LOGISTICS & WAREHOUSING IN THE PLANNING AREA -

भूमि उपयोग में स्वीकार्यता (Permissibility in land use)	विकास के मापदण्ड (Development Norms)			पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौडाई (मीटर में) Minimum width of approach road (in meter)
	न्यूनतम क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Minimum Area (in Hect.)	अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र Maximum Ground Coverage	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात Maximum Floor Area Ration (FAR)	
1. औद्योगिक भूमि	1.00	60%	1:0.60	12
2. कृषि भूमि	2.00	60%	1:0.60	12

उपरोक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के चारों ओर न्यूनतम 6.0 मीटर का एम.ओ.एस. रखा जाना आवश्यक होगा ।

(ब) **निवेश क्षेत्र के बाहर लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग पार्क हेतु भू-उपयोग संबंधी मापदण्ड**

(B) NORMS FOR LOGISTICS & WAREHOUSING SITUATED OUT SIDE THE PLANNING AREA -

स्वीकार्यता क्षेत्र Permissible locations	विकास के मापदण्ड Development Norms			पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौडाई (मीटर में) Minimum width of approach road (in Meter)
	न्यूनतम क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) Minimum Area (in Hect.)	अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र Maximum Ground Coverage	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात Maximum Floor Area Ratio (FAR)	
आबादी क्षेत्र से बाहर Out side Habitat Areas	2.00	60%	1:0.60	12

उपरोक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के चारों ओर न्यूनतम 6.0 मीटर का एम.ओ.एस. रखा जाना आवश्यक होगा ।

2.5.2 **औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन** - लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विभाग द्वारा विकसित/ विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्रो में औद्योगिक प्रायोजन हेतु निर्धारित भूमि के मूल्य पर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर भूमि आवंटित की जावेगी । इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि तथा भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित 2016) को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा ।

3. **विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत हेतु निर्धारित शर्तें**:-

3.1 नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अनुमोदित लेआउट प्लान ।

3.2 लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग पार्क के विकास हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल निम्नानुसार आवश्यक होगा :–

- **निवेश क्षेत्रान्तर्गत -**
  - ➢औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 1 हेक्टेयर
  - ➢कृषि क्षेत्र (निवेश क्षेत्र के अन्दर) में न्यूनतम 2 हेक्टेयर
- **निवेश क्षेत्र के बाहर** - न्यूनतम 2 हेक्टेयर

3.3 7 वर्ष तक संचालन/संधारण आवश्यक अन्यथा दी गयी सुविधाओं की वसूली की जावेगी।

3.4 प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क को स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष के अंदर संचालन प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।

3.5 समस्त वैधानिक अनुमतियां/सम्मतियां प्राप्त की गई हो।

4. **लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय सहायता/रियायत/सुविधा की प्रभावशीलता, विस्तार एवं स्पष्टीकरण**:-

प्रस्ताव अन्तर्गत अनुमोदित विशेष वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं का लाभ इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से 31 मार्च, 2022 तक लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क का संचालन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को निहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा ।

इस विशेष वित्तीय सहायता अंतर्गत् लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधन अक्टूबर, 2017) तथा राज्य शासन की अन्य निवेश नीतियों के अंतर्गत घोषित सुविधाओं के अन्य लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। किन्तु ऐसी परियोजनाएं ग्राहक अपेक्षित पैकेज (customized package of incentives) हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगी।

5. **संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां:-** लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय सुविधाएं अन्तर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग किसी भी समय –

5.1 इसे संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा ।

5.2 इसके प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा।

5.3 इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं निहित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एव मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा।

6. लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता/ रियायत अंतर्गत समस्त देय सुविधाओं का निराकरण एमपी ट्रायफेक द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित अक्टूबर, 2017) अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 (यथा संशोधित जनवरी, 2018) में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अध्याधीन किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-16-16/2017/70-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 22 जून, 2018

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

4/ उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग